संख्या–1215/14–2–2019–800(162)/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप महानिरीक्षक, वन,
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज, जोरबाग,
नई दिल्ली–110003

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 10 जून, 2019**

विषय :– जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग में मै0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8–07/2019–एफसी, दिनांक 25.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–2279/11–सी–एफपी/यूपी/IND/23246/2016 दिनांक 31.05.2019 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :–

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1-	The recommendations of the DFO, CF & Principal Secretary (Forest) have not been uploaded on the forest clearance web portal in respect of said project.	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के स्तर का रिकमण्डेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2-	The purpose wise breakup of the forest land proposed for diversion has not been given.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि का विवरण प्रेषित किया गया है, जिसकी चार प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3-	Out of total 115-874 Ha. area, as provided by the state Government for compensatory afforestation land, after analysis through DSS, It is found that the approximately 26 Ha. of CA land is falling in water bodies. Thus, an additional CA area of 26 Ha. may be provided.	अतिरिक्त सी0ए0 के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र सं0–एफ0नं0–11–423/2011 एफ0सी0 दिनांक 08.11.2017 द्वारा निम्नलिखित गाईड लाईन जारी किया गया है :– "The following amendment is made in 3-2(i) and explanation 2 is added as under – (i) The purpose of compensatory afforestation (CA) is to compensate the loss of 'land by land' and loss of 'trees by trees'. (ii) For compensatory afforestation the nubmer of plants to be planted over

		compensatory afforestation land shall be at least 1000 plants per hectare of forest land diverted. (iii) If the requisite number of plants @1000 ha. can not be planted on the non-forest land identified for taking up CA, then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State Government will intimate to the MOEF&CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedling will be planted. The Uger Agency will deposit the cost of planting these seedlings." उपरोक्त दिशा–निर्देश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण हेतु 26 हे0 क्षेत्र चयनित कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र व जियोरिफरेन्सड मानचित्र तथा सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोशीट यम सी0डी0 सहित तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 31.05.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/अभिलेख की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या–1215(1)/14–2–2019–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. श्री रामराज बाली अधिकृत प्रतिनिधि, जे0पी0 एसोसिएट्स लि0, सेक्टर–128 नोएडा।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter